राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

कमांक एफ 5(4) कृ.प्र./23/2016–17/ 2122-2321 दिनांक– 13 5/16

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद.....

समस्त उप निदेशक कृषि (वि.),जिला परिषद/आई.जी.एन.पी.बीकानेर.....

समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि),उप जिला .....

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विस्तार–प्रशिक्षण कार्यक्रमो के संचालन हेतु वर्ष 2016–17 के दिशा–निर्देश बाबत्।

वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित गतिविधियों के माध्यम से कृषकों को जानकारी देने हेतु अन्तर/अन्तः राज्यीय कृषक/महिला कृषक भ्रमण, किसान सेवा केन्द्र सुदृढीकरण (साज सज्जा–पत्र पत्रिका आवृति व्यय) एवं ग्रामसेट आधारित प्रशिक्षणों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अलग के भिजवाये जायेगें ।

अतः संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016–17 के कार्यक्रम का शत प्रतिशत कियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्नः– **दिशा निर्देश**

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ
शासन सचिव, कृषि

कमांक एफ 5(4) कृ.प्र./23/2016–17/2122-2321 दिनांक– 13-5-16

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन राजस्थान–जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान–जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर ——————————
5. निदेशक, उद्यान/पशुपालन/मत्स्य पालन, राजस्थान–जयपुर।
6. अपर निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/एन.एम.ओ.ओ.पी.) मुख्यालय जयपुर।
7. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर।
8. निदेशक समेती (आत्मा), दुर्गापुरा जयपुर।
9. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन)/परियोजना निदेशक सीएडी कोटा.....।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/योजना/आदान/पौ0सं0/गु0नि0/ज0उ0प्र0/शस्य–एटीसी/प्र0 एवं मू0/सांख्यिकी/रसायन), मुख्यालय जयपुर।
11. उपनिदेशक कृषि(अभियांत्रिकी/बीज/सूचना/विस्तार/सांख्यिकी) मुख्यालय जयपुर।
12. आरक्षी पत्रावली।

(एल.एन. कुमावत)
अपर निदेशक कृषि (वि0)

(1)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अन्तर्राज्यीय (राज्य के बाहर)/ अन्तः राज्यीय (राज्य के अन्दर) कृषक/महिला कृषक भ्रमण कार्यक्रम हेतु दिशा–निर्देश वर्ष 2016–17

कृषक/महिला कृषकों को राज्य में या राज्य से बाहर स्थित अनुसंधान केन्द्रों/कृषि विश्वविद्यालयों प्रगतिशील कृषकों के यहां चल रही उन्नत कृषि गतिविधियों को प्रत्यक्षता अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करने व अपनाने के लिए अन्तर्राज्यीय/अन्तः राज्यीय कृषक/महिला कृषकों के भ्रमण आयोजित कराए जाने का प्रावधान है:–

1. अन्तर्राज्यीय (राज्य के बाहर)/ अन्तः राज्यीय (राज्य के अन्दर) कृषक/महिला कृषक भ्रमण कार्यक्रम के वित्तीय प्रावधान राज्य मे चल रही आत्मा योजनानुसार होगें।
2. प्रतिभागियों की संख्या लगभग एक बस की क्षमता एवं भ्रमण हेतु उपलब्ध बजट के प्रावधान के अनुरूप रखी जाए अर्थात प्रतिभागियों की संख्या 40–50 हो। भ्रमण दल में 35 वर्षीय आयु वर्ग के युवा कृषकों का प्राथमिकता से चयन किया जाए।
3. भ्रमण दल में ऐसे लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह के प्रगतिशील कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित कराया जावे जो कृषि संबंधी उन्नत तकनीकी को ग्रहण कर उसे लागु करने में विशेष रूचि रखते हों।
4. कृषक भ्रमण कार्यक्रम में कम से कम 30 प्रतिशत प्रगतिशील महिला कृषकों के सम्मिलित जावें। जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावे।
5. अर्न्तराज्यीय भ्रमण कार्यक्रमों से कृषकों को समुचित लाभ दिलवाने के मध्यनजर उददेश्यपरक भ्रमण कार्यक्रम बनाया जावे। इस हेतु निम्न गतिविधि/ विषय पर विशेष भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जावे:–
   - अ. जल प्रबन्धन तकनीक (कपास में बून्द–बून्द सिंचाई, नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण आदि)
   - ब. दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन
   - स. हाईटेक एग्रीकल्चर एवं हार्टिकल्चर
   - द. खाद्य प्रसंस्करण
   - य. आर्गेनिक फार्मिगं
   - र. क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल की उत्पादन तकनीक
   - ल. जिले की आवश्यकतानुसार विकल्पों के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय जो आपके जिले के लिए उपयुक्त हो
6. राज्य से बाहर भ्रमण हेतु ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जावे जिसकी भौगोलिक एवं जलवायुविक परिस्थितियॉ जिले के समान हों।
7. भ्रमण संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूर्व में ही तय कर ली जावें जैसे प्रस्तावित स्थान, विश्राम स्थल, खाने–पीने की सुविधाएँ, दिखाये जाने वाले स्थानों तक पहुंचने के साधन आदि का विशेष ध्यान रखा जाए।

8. सहभागियों को किसी प्रकार की अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक ट्रेवल एजेन्सी, या यात्रा कार्यक्रम जो भी संस्थाएं करतीं हो उनसे भी सम्पर्क स्थापित किया जाए। भ्रमण दल का नेतृत्व एक राजपत्रित अधिकारी करेगा एवं उनकी सहायता के लिए एक अराजपत्रित कार्मिक भ्रमण दल के साथ जावेगा। राजपत्रित अधिकारी के पद रिक्त होने की स्थिति में भ्रमण दल के साथ दो अराजपत्रित कार्मिक भी जा सकेंगे। भ्रमण दल के साथ में जाने वाले कार्मिकों का राज्य से बाहर भ्रमण का अनुमोदन भ्रमण दल के प्रस्थान से पूर्व आयुक्तालय से प्राप्त किया जावेगा।
9. अन्तर्राज्यीय भ्रमण दल पर अधिकतम राशि रूपये 1.50 लाख एवं राज्य के अन्दर भ्रमण पर अधिकतम व्यय राशि 1.00 लाख निम्न मापदण्डों के अनुसार व्यय की जा सकेगी :–

<u>अन्तर्राज्यीय कृषक भ्रमण</u>

अ. कृषक संख्या 40 से 50

ब. भ्रमण अवधि अधिकतम 7 दिवस

स. नियमानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस अथवा प्राईवेट बस का वास्तवित किराया जो भी कम हो

द. बोर्डिगं एवं लोजिगं 350/–रूपये प्रति कृषक प्रतिदिन

य. प्रति भ्रमण स्टेनशरी, पेन फोल्डर, स्लीप पेड आदि हेतु अधिकतम रू0 50/– प्रति कृषक

र. कृषि विश्वविद्यालय/ अनुसंधान केन्द्रों पर भ्रमण के समय वैज्ञानिकों/ फैसिलिटेटर्स के व्याख्यान हेतु रू0 500/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 3000/– प्रति भ्रमण

ल. अन्य विविध व्यय अधिकतम रूपये 3000/– प्रति भ्रमण

<u>अन्तः राज्यीय महिला कृषक भ्रमण</u>

अ. कृषक संख्या 40 से 50

ब. भ्रमण अवधि अधिकतम 5 दिवस

स. नियमानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस अथवा प्राईवेट बस का वास्तविक किराया जो भी कम हो

द. बोर्डिगं एवं लोजिगं 250/–रूपये प्रति कृषक प्रतिदिन

य. प्रति भ्रमण स्टेनशरी, पेन फोल्डर, स्लीप पेड आदि हेतु अधिकतम रू0 30/– प्रति कृषक

र. कृषि विश्वविद्यालय/ अनुसंधान केन्द्रों पर भ्रमण के समय वैज्ञानिकों/ फैसिलिटेटर्स के व्याख्यान हेतु रू0 500/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 2000/– प्रति भ्रमण

ल. अन्य विविध व्यय अधिकतम रूपये 2000/– प्रति भ्रमण

10. विभाग द्वारा आयोजित भ्रमण कार्यक्रम में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के कार्यक्रम प्रदर्शन, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कराये जा रहे अनुसंधान कार्यक्रम, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे प्रमुख कार्य, हाईटेक एग्रीकल्चर, बागवानी, जल का कुशल प्रबन्धन, जैविक खेती, संविदा खेती, अन्य राज्यों में कृषि विभाग द्वारा किए गए नवाचार कार्यक्रम या अन्य कोई कृषि से संबंधित कार्यक्रम जो दिखलाये जावें एवं इस हेतु पूर्व में सम्पर्क कर लिया जाए। भ्रमण व प्रशिक्षण का दैनिक (तारीखवार मिनट टू

मिनट) विवरण भी पूर्व में तैयार कर लिया जाए। भ्रमण कार्यक्रम में धार्मिक/ पर्यटन स्थानों का समावेश नहीं किया जावे।

11. राज्य के भीतर जिसकी कृषि जलवायुविक परिस्थितियॉ जिले के समान हों, में भ्रमण का कार्यक्रम खण्ड स्तरीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा अनुमोदन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त राज्य से बाहर के भ्रमण कार्यक्रमों का अनुमोदन कराने हेतु प्रस्ताव माह सितम्बर, तक आवश्यक रूप से आयुक्तालय को भिजवाये जावें।
12. भ्रमण के पश्चात प्रत्येक उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद भ्रमण कार्यक्रम अनुभवों का विवरण अपनी टिप्पणी के साथ आयुक्तालय को भिजवाते हुए उसकी प्रति अन्य जिलों के उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद को भिजवायेंगे।
13. इसके साथ ही प्रत्येक भ्रमण के उपरान्त संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद आयुक्तालय स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक/ कार्यशालाओं में अपने अनुभवों का पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन करेंगे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत किसान सेवा केन्द्र सुदृढीकरण हेतु दिशा–निर्देश वर्ष 2016–17

प्रत्येक गुरूवार को क्षेत्र के सभी कार्यालयों में सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय पर रहकर किसान सेवा केन्द्रों का संचालन करते है। किसान सेवा केन्द्र पर आने वाली तकनीकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते है। दिशा निर्देश निम्नानुसार है:–

1. किसान सेवा केन्द्र सुदृढीकरण (पत्र पत्रिका आवृत्ति व्यय)

किसान सेवा केन्दों पर वर्तमान में आवृत्ति व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नवीनतम उन्नत तकनीक से संबंधित कृषि की पत्र–पत्रिकाएँ जिनके उपयोग से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक का सम्प्रेषण करने में विभागीय कार्मिकों को सहायता मिलती है, का अभाव रहता है। कृषि संबंधी पत्र–पत्रिकाओं जैसे कृषि विकास, समयकोण, हरित कान्ति, हलधर टाईम्स, राजस्थानी खेती, फल–फूल, कृषि चयनिका, अपना पत्र, उन्नत कृषि, कृषि विस्तार समीक्षा एवं कृषक समाज, कृषक संवाद, कृषक जगत, कृषक दुनिया, कृषि लोक, विश्व कृषि संचार, सीटा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें राजस्थान में सब्जियों, मसालों की खेती, राजस्थान में फलोत्पादन, ग्रामीण ओझ, कृषि परिदृश्य, उद्यान प्रौद्योगिकी, कृषि कौशल, कृषि आधार एवं कृषि भारती आदि के क्रय हेतु **500/–रूपये** प्रति किसान सेवा केन्द्र प्रतिवर्ष धनराशि का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय किया जावेगा। इस मद में राशि बचने पर अवशेष राशि का उपयोग किसान सेवा केन्द्रों पर मटके, झाड़ू आदि आवश्यक सामायिक (प्रेटी) सामग्री के क्रय हेतु संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला की अनुमति से किया जावेगा।

संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला आवंटित की जा रही राशि से किसान सेवा केन्द्रों के लिए नवीनतम उन्नत तकनीक से संबंधित पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करवायेंगे जिससे विस्तार कार्यकर्ता कृषकों को नवीनतम तकनीक का सम्प्रेषण कर सकें।

कार्यक्रम की प्रगति सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला द्वारा संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद एवं खण्डीय संयुक्त निदेशकों को 30 सितम्बर तक भेजी जावेगी जिसमें चयनित किसान सेवा केन्द्रों के नाम व उपलब्ध करवाई जा रही पत्र पत्रिकाओं की सूची तथा व्यय की गई राशि का विवरण दिया जावेगा। खण्डीय संयुक्त निदेशक तदानुसार प्रगति उपजिलावार संकलित कर आयुक्तालय को 30 अक्टूम्बर तक भिजवायेंगे।

2. किसान सेवा केन्द्र सुदृढीकरण (साज सज्जा)

किसान सेवा केन्द किसानों को कृषि तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने और उनकी समस्या का निवारण करने के लिए विभाग की एक सशक्त इकाई है। अतः इस इकाई को कृषि तकनीकी स्थानान्तरण एवं कृषि परामर्श केन्द्र (एग्रोक्लिनिक) के रूप में विकसित किया जाना आवश्यक है।

1. किसान सेवा केन्द्रों के आधारभूत ढॉचे को विकसित करने हेतु प्रति किसान सेवा केन्द्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है।

2. गत वर्षो में जिन किसान सेवा केन्द्रों को सुसज्जित करने हेतु सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है उन्हें 7500/–रू. तक की राशि से सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि जैसे–जैसे राशि मिले वैसे–वैसे किसान सेवा केन्द्र सुसज्जित हो जावे। जिन किसान सेवा केन्द्रों को पूर्व वर्षों में सुसज्जित कर दिया गया हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे किसान सेवा केन्द्रों को सुसज्जित किया जाना है।

3. किसान सेवा केन्द्रों के ढॉचागत विकास हेतु निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई जाएः–

क.सं. सामग्री का नाम

1. कृषि यंत्र/ पौध–संरक्षण यंत्र
2. स्थाई शो–केस
3. बीज उर्वरक व दवाईयों के नमूनों हेतु प्लास्टिक के डिब्बे
4. कॉच के जार
5. कीटों को एकत्रित करने हेतु बॉक्स
6. कीटों को एकत्रित करने हेतु नेट
7. कॉच के दरवाजेयुक्त आलमारी
8. फसल कटाई प्रयोग हेतु उपकरण/सामग्री
9. कीट–व्याधि के जीवन चक्र चार्ट
10. सूचना पटट
11. वर्षा मापक यंत्र, ताप मापी यंत्र, आद्रता मापी यंत्रों को ठीक करवाकर स्थापित करना या क्रय करना
12. सोयल टेस्टिगं किट
13. जीवित नमूनों को रखने हेतु कन्टेनर
14. फेरोमैन ट्रेप मॉडल
15. आवश्यक फर्नीचर भवन की मरम्मत, रखरखाव सफेदी आदि
16. वेदर वॉच
17. विविध (क्षेत्र विशेष के किसान सेवा केन्द्र की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री)

5. उपलब्ध कराई जा रही राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन करेंगे जो अपने क्षेत्र के कौन–कौन से किसान सेवा केन्दों को सुसज्जित किया जाना है एवं किसान सेवा केन्द्रों पर क्या–क्या सामग्री उपलब्ध कराई जानी का निर्धारण कर वॉछित सामग्री अपनी निगरानी में क्रय करवायेंगे।

6. बजट का उपयोग समय पर सुनिश्चित कराने एवं क्रियान्वयन हेतु समय सारणी निम्न प्रकार रहेगी :–

1.	समिति का गठन	20 अगस्त तक
2.	सुसज्जित किए जाने वाले कि.से.कें. का चयन	31 अगस्त तक
3.	कि.से.के. सुसज्जित करने हेतु सामग्री का चयन	30 सितम्बर तक
4.	सुसज्जित करने हेतु सामग्री की व्यवस्था	30 अक्टूम्बर तक
5.	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बजट उपलब्ध होने के दो माह में	

संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला बजट उपयोग करने के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित संयुक्त/ उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को प्रगति से अवगत कराते हुए आयुक्तालय को सुचित करायेंगे।

वर्ष 2016–17 में ग्रामसेट आधारित प्रशिक्षणों हेतु दिशा–निर्देश

राज्य क दूरदराज क्षेत्रों से सभी कृषकों को राज्य मुख्यालय पर लाया जाकर तकनीकी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों से दिया जाना संभव नही है। इस हेतु राज्य में जिला व पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित ग्रामसेट आधारित प्रशिक्षण दिये जाते है। जिसके दिशा निर्देश निम्नानुसार है:–

1. कृषकों की तकनीकी कुशलता में वृद्धि हेतु पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर सेटकॉम स्टूडियो, आईजीपीआरएस, जेएलएन मार्ग, जयपुर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्रामसेट आधारित प्रशिक्षण करवाये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त प्रशिक्षणों हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राशि 25.00 लाख रू0 का प्रावधान रखा गया है।
2. इन प्रशिक्षणों हेतु कृषि एवं संबद्ध विभागों के विषय विशेषज्ञों एवं सेवानिवृत कृषि अधिकारियों की सेवाएं ली जा सकती है। ये विषय विशेषज्ञ PPP/Photogarph/Specimen/White board/Film आदि की सहायता से सेटकॉम स्टूडियो के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे एवं कृषकों की कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञों को इन प्रशिक्षणों हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं है परन्तु संबद्ध विभागों के विशेषज्ञों एवं सेवानिवृत अधिकारियों को श्याम दुर्गापुरा के मापदण्डानुसार इसके लिए प्रति डेढ घण्टे हेतु राशि 500 रू0 एवं इससे अधिक प्रशिक्षण अवधि के लिए अधिकतम 750 रू0 का प्रावधान है। सेवानिवृत एवं सभी संबद्ध विभागों के विशेषज्ञ उन्हें आवंटित विषय पर एक PPP एवं हार्ड कॉपी विभागीय अधिकारियों की समिति के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे जिसमें आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन उपरान्त ग्रामसेट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
3. इन प्रशिक्षणों का आयोजन चुनिन्दा स्थानों (SITs/ROTs) जहां कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना है) पर एक साथ किया जावेगा।
4. बजट उपलब्धता के अनुसार एवं अनुसंधान अधिकारी, सेटकॉम स्टूडियो, इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान (IGPRS) से सम्पर्क कर इन प्रशिक्षणों हेतु Satellite Interactive Terminal (SIT)/Read Only Terminal (ROT) की संख्या एवं स्थान चयन किया गया है।
5. संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद निर्धारित दिनांक एवं समय पर उक्त प्रशिक्षण हेतु संबंधित ROTs/SITs पर कृषकों को भिजवाने एवं निम्न प्रावधानानुसार व्यवस्था कराने के लिए जिम्मेदार होंगे :–

क.सं.	मद	राशि
1	कृषकों के आने जाने का किराया	वास्तविक अथवा 50 रू0 अधिकतम
2	अल्पाहार एवं भोजन	100 रू0 / प्रशिक्षणार्थी / दिन
3	स्टेशनरी (स्लिप पेड एवं पेन)	25 रू0 / प्रशिक्षणार्थी / दिन
4	तकनीकी साहित्य	50रू / प्रशिक्षणार्थी / दिन
कुल		अधिकतम 225 रू0 / प्रशिक्षणार्थी / दिन

6. वित्तीय लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रतिभागियों की संख्या SIT/ROT पर स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये बढाई जा सकती है।
7. प्रशिक्षण हेतु संबंधित उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद को वित्तिय प्रावधान अलग से भिजवायें जावेगें।
8. प्रशिक्षण के तुरन्त बाद संबंधित उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद इन प्रशिक्षणों की दिनांकवार एवं ROT/SIT वार प्रगति निर्धारित प्रपत्र में अपनी टिप्पणी सहित अपर निदेशक कृषि (वि0), मुख्यालय, जयपुर को अविलम्ब **हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (ई–मेल adldir_extension@rediffmail.com)** दोनों में आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।
9. प्रशिक्षणों में यह ध्यान रखा जाना है कि कृषकों की पुनरावृति नहीं हो।